**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**31.07.2024 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1582 का उत्तर**

**गुलबर्गा जिले में रेल मंडल**

**1582. श्री राधाकृष्ण:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या यह सच है कि गुलबर्गा जिले में रेल मंडल की स्वीकृति होने और राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के बावजूद भी उक्त परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) परियोजना के आरंभ होने और पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और**

**(घ) निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

*********

s.k

**गुलबुर्गा जिले में रेल मंडल के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री राधाकृष्ण के अतारांकित प्रश्न सं. 1582 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (घ): गुलबर्गा (कलबुर्गी) पर रेल मंडल का गठन करने के लिए किसी कार्य/परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया है।**

**वर्ष 2014-15 के अंतरिम रेल बजट पेश करने के दौरान घोषित गुलबर्गा (कलबुर्गी) सहित 3 रेल मंडलों के गठन की व्यवहार्यता का विश्लेषण और समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने परिचालनिक, वित्तीय, प्रशासनिक और रेल कार्य-प्रणाली के अन्य पहलुओं से संबंधी सभी प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने के बाद इन 3 नए रेल मंडलों के गठन को औचित्यपूर्ण नहीं पाया। समिति के निष्कर्षों के आधार पर, नए मंडल के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।**

*****

s.k